पत्रांकः–वन भूमि–75 / 2022..... / प०व०ज०प०

बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

सुधीर कुमार,
वन संरक्षक–सह–अपर सचिव।

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय),
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, द्वितीय तल,
झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड मुख्यालय,
हरमू चौक राँची, झारखण्ड,
राँची–834002

पटना–15, दिनांक.....

विषय :– पूर्णिया एवं किशनगंज जिलान्तर्गत SH-99 बायसी–अमौर–बहादुरगंज–दिघलबैंक पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 69.178 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि पूर्णिया एवं किशनगंज जिलान्तर्गत SH-99 बायसी–अमौर–बहादुरगंज–दिघलबैंक पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 69.178 हे० भूमि अपयोजन का प्रस्ताव उप महाप्रबंधक (तक०), BSRDCL, PIU- खगड़िया–सह– कटिहार एट खगड़िया द्वारा समर्पित किया गया है, जिसे प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना के अनुमोदनोंपरांत नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण) द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

विषयांकित परियोजना में 69.178 हे० वन भूमि का अपयोजन तथा 1854 वृक्षों का पातन प्रस्तावित है, जिसकी विवरणी निम्नवत् हैः–

क्र० सं०	वन प्रमंडल का नाम	कि०मी०	क्षेत्रफल (हे० में)	Tranlocate हेतु प्रस्तावित वृक्षों की संख्या	पातन हेतु प्रस्तावित वृक्षों की संख्या	वानस्पतिक घनत्व
1	पूर्णियाँ	0.00–32.035=32.035 कि०मी०	49.841	2219	1336	0.1 से कम
2	अररिया	32.035–45.280= 13.245 कि०मी०	19.337	572	518	0.4
		कुल	**69.178**	**2791**	**1854**	

परियोजना निर्माण के क्रम में प्रभावित होने वाले 4645 वृक्षों में से 1854 वृक्षों का पातन, 2791 वृक्षों का पुनर्स्थापन का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। अररिया वन प्रमंडल से संबंधित वृक्ष सुरक्षा योजना में अंकित किया गया है कि अररिया वन प्रमंडल के किशनगंज जिला के अंतर्गत SH-99 (बायसी–बहादुरगंज–दिघलबैंक) के अंश (पंचायत काठामांडा से महादेव दिघी तक) (कि०मी० 32.035 से कि०मी० 45.280) जो सुरक्षित वन घोषित है, के उन्नयन का प्रस्ताव है। इसमें प्रभावित होने वाले वृक्षों की कुल संख्या–1090 (एक हजार नब्बे) है। समिति के समक्ष वृक्ष सुरक्षा योजना के रूप 90 से०मी० से उपर गोलाई के वृक्षों का पातन एवं 0.00–90.00 से०मी० गोलाई तक के वृक्षों का पुर्नस्थापन किया जाना प्रस्तावित किया गया। इसके अनुसार पातित होने वाले वृक्षों की संख्या 518 एवं पुर्नस्थापन होने वाले वृक्षों की संख्या 572 आती है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार दिशा निर्देश के अनुसार 60 से०मी० तक के गोलाई के वृक्षों को ही पुर्नस्थापित किया जाना है। इस प्रस्ताव में भी 60

से०मी० से अधिक गोलाई के वृक्षों का पातन किया जाना प्रस्तावित किया गया है। पुर्नस्थापित किये वाले वृक्षों की प्रजाति पर ध्यान नहीं दिया गया है। विदित है कि कुछ प्रजातियाँ के पुर्नस्थापन क सफलता संधिग्ध होती है। साथ ही कुछ ऐसी प्रजातियाँ भी है जो बड़ी आसानी से रोपित हो जाती है और बच भी जाती है। इनके प्रतिस्थापन की कोई आवश्यकता नहीं है। पानी गंभार, कनेल, बबूल, लाड़, अशोक, गुलमोहर, सहजन, खजूर, अमलतास, चकुंडी, जिलेबी, बकैन, फलगंभार प्रजाति के प्रतिस्थापन का कोई औचित्य नहीं है। उक्त प्रजातियों के सभी वृक्षों का पातन किया जायेगा। अन्य प्रजातियों के 60 से०मी० से अधिक गोलाई के वृक्षों का पातन किया जायेगा।

पूर्णिया वन प्रमंडल से संबंधित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, भागलपुर द्वारा अनुमोदित वृक्ष सुरक्षा योजना अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार द्वारा सीधे आपको उपलब्ध कराई जायेगी।

अपयोजित होने वाली वनभूमि के लिए जिला पदाधिकारी, पूर्णियॉ एवं किशनगंज द्वारा FRA, 2006 प्रमाण–पत्र निर्गत नहीं किया गया है परन्तु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक–11–43/2013–FC दिनांक–26.02.2019 के आलोक में बिना FRA, 2006 प्रमाण–पत्र के ही बिना प्रस्ताव पर स्टेज–1 की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु अग्रसारित किया जा रहा है।

परियोजना निर्माण के क्रम में कुल 69.178 हे0 अपयोजित होने वाली वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वनीकरण हेतु दुगुना 139.00 हे० अवकृष्ट वन भूमि को बांका वन प्रमंडल के कटोरिया एवं बांका प्रक्षेत्र अंतर्गत कटसकरा एवं माताथान फुल्लीडुमर टोला तेलियाखार हथियापात्थर PF को चिन्हित करते हुए 2,50,45,127/–(दो करोड़ पचास लाख पैंतालीस हजार एक सौ सताईस रूपये) मात्र प्राक्कलन (पृष्ठ 507–500/प०) वन प्रमंडल पदाधिकारी, बांका से प्राप्त की गयी है। क्षतिपूरक वनीकरण के लिए चिन्हित वन भूमि का Geo-referenced नक्शा एवं वन भूमि क्षतिपूरक वनीकरण के लिए उपर्युक्त है का प्रमाण पत्र भी प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

विषयांकित प्रस्ताव में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी का अनुशंसा प्रपत्र–II के रूप में एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है। वन संरक्षक द्वारा प्रस्ताव की अनुशंसा की गयी है, जिसका अनुमोदन प्रपत्र–III के रूप में एवं नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार द्वारा की गयी अनुशंसा प्रपत्र IV के रूप में संलग्न है।

वन (संरक्षण), अधिनियम, 1980 के तहत निम्नांकित शर्त्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जाती है :–

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. परियोजना में अपयोजित होने वाली 49.841 हे० वन भूमि के लिये 9.57780 लाख प्रति हे० के दर से रू० 4,77,36,713/– एवं परियोजना में अपयोजित होने वाली 19.337 हे० वन भूमि के लिये 12.28590 लाख प्रति हे० के दर से रू० 2,37,57,245/– कुल रू० 7,14,93,958/– (सात करोड़ चौदह लाख तिरानवे हजार नौ सौ अन्ठावन) मात्र नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
3. अपयोजित होने वाली 69.178 हे० वन भूमि के बदले में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए बॉका वन प्रमंडल, बॉका अन्तर्गत 139.00 हे० अवकृष्ट वन भूमि, कटसकरा एवं माताथान फुल्लीडुमर टोला तेलियाखार हथियापात्थर सुरक्षित वन को चिन्हित करते हुए रू० 2,50,45,127/–(दो करोड़ पचास लाख पैंतालीस हजार एक सौ सताईस रूपये) मात्र प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा तात्कालिक मजदूरी दर पर उपलब्ध करायी जायेगी।
4. वृक्षों का पातन विभागीय देखरेख में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने खर्च पर किया जाएगा एवं पातित काष्ठ को विभागीय वनागार तक पहुँचाया जाएगा। प्राप्त काष्ठ की नीलामी इत्यादि के लिए विभाग को 1492/– रूपये प्रति घनमीटर की दर से राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराएगी।

प्रस्ताव को संलग्न अभिलेख सहित भेजते हुए अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रस्ताव के संदर्भ में लिये गये निर्णय से राज्य सरकार को संसूचित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

ह०/–

(सुधीर कुमार)

वन संरक्षक–सह–अपर सचिव

ज्ञापांक :– वन भूमि–75/2022................../प०व०ज०प०, पटना–15, दिनांक..................................

प्रतिलिपि :–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार/उप महाप्रबंधक (तक०), BSRDCL, PIU-खगड़िया–सह– कटिहार एट खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार से अनुरोध है कि पूर्णिया वन प्रमंडल से संबंधित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, भागलपुर द्वारा अनुमोदित वृक्ष सुरक्षा योजना सीधे भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रॉची को उपलब्ध करा दिया जाय।

ह०/–

(सुधीर कुमार)

वन संरक्षक–सह–अपर सचिव

ज्ञापांक :– वन भूमि–75/2022..21 (ई०)/प०व०ज०प०, पटना–15, दिनांक........05/01/23

प्रतिलिपि :–आई०टी० मैनेजर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को निदेश दिया जाता है कि प्रस्ताव को मंत्रालय के वेब–साईट पर अपलोड करते हुए पार्ट–2 उपलब्ध कराया जाय।

5/1/2023

(सुधीर कुमार)

वन संरक्षक–सह–अपर सचिव

PART-V

(To be filled in by the Secretary Charge of forest Department or by any other authorizes officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

Adverse comments made by any officer or authority in Part-B or Part-C or Part-D above should be specifically commented upon.

The proposed diversion of 69.178 ha. forest land for widening & upgrading Project of SH-99, Baysi-Bahadurganj-Dighalbank under Purnia and Kishanganj Districts may be sanctioned subject to the condition/stipulation mentioned in the forwarding letter.

Date:- 5/1/2023

Place:- PATNA

Signature:- Sudhir Kumar

Name of Designation:-

Official Seal:- अपर सचिव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार, पटना